राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनू

प्रकरण संख्या : 17/2009

पीठासीन अधिकारी – कपिल कुमार (आर.टी.एस.)

अन्तर्गत धारा 90 क सपठित धारा 91 राजस्थान भू–राज. अधिनियम 1956

सरकार बनाम लिलूराम पुत्र नारायण कौम मेघवाल निवासी परसरामपुरा एवं औंकारमल जांगिड़ सचिव, भारत माता सीनियर सैकण्डरी स्कूल परसरामपुरा जिला झुन्झुनू।

दिनांकः 20.02.2020

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का, परसरामपुरा कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम परसरामपुरा स्थित भूमि खसरा 2774 रकबा 0.40 हैक्टर एवं खसरा न. 2772 रकबा 1.06 है. किता 2 कुल रकबा 1.46 है. की खातेदारी लिलूराम पुत्र नारायण जाति मेघवाल निवासी परसरामपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। उक्त भूमि में औंकारमल जांगिड़ सचिव भारत माता सीनियर सैकण्डरी स्कूल परसरामपुरा सम्पूर्ण 1.46 है भूमि में गैरसायल द्वारा पक्का भवन व सुरक्षा दिवार बनाकर कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 क सपठित धारा 91 के तहत दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। सम्यक तामिल पश्चात अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में गिरदावर हल्का द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट चाही गयी। जिसके अनुसार ग्राम परसरामपुरा के ख.न. 2774 रकबा 0.40 है. मे से 0.30 है. पक्का मकान व चार दीवारी एवं ख.न. ख0न. 2772 रकबा 1.06 है. मे से 0.04 है. पर पक्का मकान व चारदीवारी बनाकर अप्रार्थी औकारमल जांगीड़ द्वारा भारत माता सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनाकर संचालन कर रहा है, अप्रार्थी द्वारा स्कूल भवन का संस्थागत संपरिवर्तन आदेश ख. न. 3661/2772 रकबा 0.20 है. को पेश किया जो उपखण्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 21.06.2013 को जारी किया हुआ है, जिसमें स्कूल भवन बना हुआ है वह ख.न. 2774 रकबा 0.40 है में से 0. 25 है. का संस्थागत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 09.10.2013 को जारी किया गया है। उक्त भूमि खाली बिना निर्माण के संस्था के उपयोग में आ रही है व आंशिक भाग में आवासीय मकान बना हुआ है। इस प्रकार ख.न. 2774 व 2772 में धारा 90 क में की गई कार्यवाही विचाराधीन है उस प्रश्नगत भूमि का संस्थागत संपरिवर्तन करवा लिया गया है।

गिरदावर हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भूमि ख.न. 2774 रकबा 0.40 है. किस्म बारानी तृतीय में से 0. 30 है. पर पक्का मकान व चार दीवारी एवं ख.न. 2772 रकबा 1.06 है. किस्म बारानी तृतीय में 0. 04 है. में पक्का मकान व चार दीवारी बनाकर कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया गया है। गिरदावर हल्का एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी ने 0.45 है. भूमि का संस्थागत संपरिवर्तन करवा लिया गया है। उक्त प्रकरण में कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लेने की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता हैं। अतः पर कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण मु0न0 17/2019 रा0ले0 रे0 एक्ट 1956 की धारा 90ए सपठित 91 पर कोई कार्यवाही किया जाना शेष नही रह जाता है। उक्त प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद दाखील दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार नवलगढ़